राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग-1)

क्रमांक:- प. 26(2)प्रसु/सम/अनु-1/2009पार्ट   जयपुर, दिनांक:- 05.02.2021

आदेश

राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों और अन्य सभी गतिविधियों के धरातलीय स्तर पर अधिक कुशल क्रियान्वयन/निगरानी वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा किये जाने के संबंध मे विभाग के आदेश दिनांक 10.06.2020 द्वारा प्रभारी सचिवगणों तथा सम्भागीय आयुक्तों द्वारा किये जाने वाले दौरे के संबंध मे दिशा-निर्देश जारी किये गये है। जिला प्रभारी सचिवगण राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रभारी मंत्री गणों के साथ संयुक्त दौरा करते है। उसी के क्रम मे सम्भागीय आयुक्तों द्वारा किये जाने वाले दौरों के संबंध मे दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते है कि "सम्भागीय आयुक्त द्वारा सम्भाग के जिले मे प्रतिमाह किये जाने वाले दो दिवस के दौरों/निरीक्षणों मे से एक दौरा संबंधित जिला प्रभारी मंत्रीगण से समन्वय स्थापित कर उनके साथ संयुक्त रूप से किया जाना सुनिश्चित करे।"

(अश्विनी भगत)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
2. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मा. मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. समस्त जिला प्रभारी सचिवगण।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव